झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
दशम् (शीतकालीन) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 22.12.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0	राज्य में गिरिडीह जिला समेत अभी भी कई जिलों में बालू उठाव स्थल विधिवत् निर्धारित नहीं किया गया है। गिरिडीह जिला के बगोदर, सरिया और बिरनी प्रखण्ड में अभी तक एक भी केन्द्र निर्धारित नहीं है। फलतः ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। आये दिन ग्रामीणों को अपनी जरूरत हेतु बालू उठाव पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, फाइन लग रहे है, ट्रैक्टर जप्त हो रहे है। जबकि सरिया क्षेत्र में रेलवे का कार्य हो रहा है। वे बालू का उठाव कर रहे है, लेकिन अब तक रेलवे या उनके संवेदक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाहिर है परेशानी आम नागरिकों को हो रही है। अतः मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि नागरिकों को विधिवत बालू उठाव हेतु सरिया में बरसोती और बराकर नदी पर, बिरनी में इरगा, पोक्सो और बराकर नदी पर बालू उठाव केंद्र तत्काल विधिवत निर्धारित किया जाय।	खान एवं भूतत्व

01.	02.	03.	04.
02-	**श्री राज सिन्हा स0वि0स0 श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0 श्री बिरंची नारायण स0वि0स0**	किसी भी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य के गठन के बाईस वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तथा यह राज्य अब अपने ''रजत वर्ष'' की ओर अग्रसर हो रहा है, परन्तु स्वास्थ्य, चिकित्सा की दृष्टि से पूरे राज्य की काफी चिन्ताजनक स्थिति है, जिसका मूल कारण अस्पतालों के अनुपात में चिकित्सकों का घोर अभाव है। मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि राज्य में 3370 सरकारी डाक्टरों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या में से आधे पद खाली पड़े हैं। जिसके कारण आम जनता को सरकारी अस्पतालों में संतोषजनक चिकित्सा सेवा नही मिल पा रही है। फलस्वरूप वे विवश हो कर निजी अस्पतालों में जाने को बाध्य हो रहे है जहाँ उनका भयानक शोषण होता है। चिकित्सकों के अभाव का दंश राज्य के सभी जिलों सहित विभिन्न मेडिकल कॉलेज भी झेल रहें हैं। अतः अविलम्बनीय लोकमहत्त्व के इस प्रश्न पर सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ तथा माँग करता हूँ कि वित्तीय वर्ष-2022 की समाप्ति से पहले सरकार रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करें तथा काम को यथाशीघ्र पूरा करें।	**स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण**
03-	**श्री बसंत सोरेन स0वि0स0**	झारखण्ड सरकार के खाद्य आपूर्त्ति विभाग के आदेशानुसार दुमका जिला सहित पुरे राज्य में EPOS मशीनों को इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन से जोड़ा जा रहा है। परन्तु अभी तक जन वितरण प्रणाली के दुकानों में 2G नेटवर्क ही काम कर रही है। जिसके कारण खाद्यान्न वितरण एवं उठाव में परेशानी हो रही है, नेटवर्क नहीं रहने के कारण सुदुर क्षेत्र में गरीब ग्रामीण जनता को खाद्यान्न उठाव एवं वितरण में घंटों समय लग जाता है, जिससे बहुत सारे गरीब-गुरबा खाद्यान्न उठाव के वगैर ही लौट जाता है।	**खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले**

01.	02.	03.	04.
		अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जन वितरण प्रणाली में 2G नेटवर्क के स्थान पर 4G नेटवर्क की व्यवस्था की जाय जिससे वितरण एवं खाद्यान्न उठाव में सुगमता हो सके।	
04-	श्री समीर कुमार मोहन्ती स0वि0स0	पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत चाकुलिया प्रखंड के गोहालडांगरा उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन निर्माण का कार्य राज्यस्तरीय निविदा के माध्यम से संवेदक M/s VSV एंटरप्राइजेज लिमिटेड जिसका इकरानामा संख्या-159/SBD/2014-15 दिनांक- 23.02.2015 के द्वारा कराया जाना था। संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया, परन्तु छः वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका। दूसरी ओर विद्यालय का पुराना जर्जर भवन की छत जिसमें किसी प्रकार पठन-पाठन की क्रिया चल रही थी विगत दिनों गिर जाने से वर्त्तमान में विद्यार्थियों की पठन-पाठन की क्रिया पूरी तरह से प्रभावित है। उक्त परिस्थिति के लिए पूरी तरह से संबन्धित संवेदक जिम्मेदार है। अतः उद्धृत विषय की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि संबंधित संवेदक पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनका नाम काली सूची में डाला जाए तथा अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु उचित पहल की जाए।	भवन निर्माण
05-	सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0 श्री कुमार जयमंगल स0वि0स0 श्री सोनाराम सिंकू स0वि0स0	हमारी सरकार जल, जंगल, जमीन के मुद्दे पर बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 लागू करने की घोषणा से राज्य भर में जमीन से जुड़े समस्याओं पर अंकुश लगेगा एवं इस निर्णय से झारखण्ड के अस्तित्व को बचाने का कार्य किया गया है, परन्तु खनन कंपनियों द्वारा CBA या LA 1894 एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		जिससे विस्थापितों को उनका जायज मुआवजा, रोजगार, एन्यूटी, पुनर्वास इत्यादि नहीं मिल रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण पकरी बरवाडीह में एनटीपीसी द्वारा किया गया अधिग्रहण है जिसमें सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने एनटीपीसी द्वारा कानून का अनुपालन नहीं किया जाना पाया था व उच्चस्तरीय कमेटी द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सहमति ना होने के कारण राज्य सरकार को प्रतिवेदन नहीं भेजी गई है, जिसके कारण पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना हेतु अर्जित भूमि के निमित्त स्थानीय भू-स्वामियों को मुआवजा भुगतान, रोजगार, एनयुटी, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्वास्थापन तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 को लागू करने के बिन्दुओं पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। अतः पूर्व में सरकार द्वारा गठित कमिटी के निमित्त पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना से विस्थापितों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 लागू करने सहित रोजगार, एन्युटी इत्यादि प्रदान कराने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ।	

राँची,
दिनांक- 22 दिसम्बर, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-50/2022-2454...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 21/12/22

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, खान, एवं भूतत्व विभाग/ सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग एवं सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

((एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-50/2022-2453...../वि0 स0, राँची, दिनांक-21/12/22

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

21-012-22